न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 2019/00116
दिनांक 14.7.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मूलदावा में दिनांक 4.2.20 को अप्रार्थी सं0 1 व 3 के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश हो चुके है। इस पत्रावली में आदेशिका पर नहीं लिखा जबकि यह पत्रावली मूलदावा का अभिन्न अंग है। इसलिए मेरी बहस सुनी जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मूलदावा के फैसले तक कन्फर्म किया जावे। अतः मूलदावा का अवलोकन किया अप्रार्थी सं0 1 व 3 के विरुद्ध दिनांक 4.2.20 को एकपक्षीय आदेश हो चुके है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 27.319 को मूलदावा के निर्णय तक ताः फैसला स्थाई किया जाता है पत्रावली फैसलशुमार होकर मूलदावा के साथ संलग्न हो।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:05:02 IST
Reason: SelfAttested